



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300572

DISTRICT NAME : टिहरी गढ़वाल SRO : जाबणीधार

18-Dec-2024

12:42:12

Appointment Date: 18 Dec 2024

UKPDE2024090300572 From 16 Feb 2023

Appointment Time: 01:30 p.m to 02:30 p.m

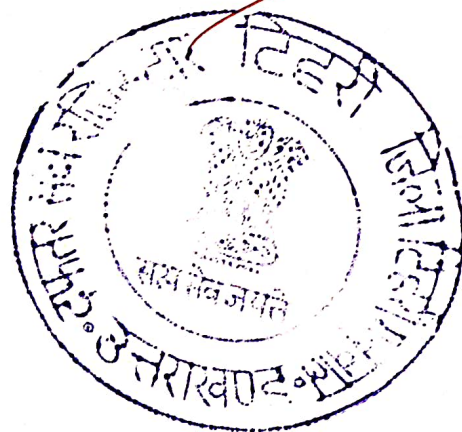
Appointment TokenNo: 1

Deed/Article Type : Lease
Sub-Deed/Sub-Article : Lease (Not Exceeding 30 years)
Village/Location For Index : कुम्हारधार - B.4. जाबणीधार-गराकोट मोटर मार्ग
Village/Location/Road Selected for Circle Rate List : कुम्हारधार - B.4. जाबणीधार-गराकोट मोटर मार्ग
Khasra : 908 909 910 913
House/Flat No:
Area : 3,090.0000 वर्ग मीटर
Latitude :
Land Value : 0.00
Transaction Value : 0.00
Advance : 0.00
Stamp Duty : 8,500.00
Pasting Fees : 100
Khatoni : 00067
Longitude : 0.0000000000
Construction Value : 0.00
Market Value : 0.00
Lease Period : 27.00
Avg. Rent : 5,902.18
Regn Fees : 4,260.00
Page : 22

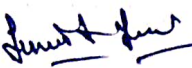
व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार		क्षेत्रफल		
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	4,260.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	8,500.00	-	18-Dec-2024	15

1/12/24

Wm



पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
पक्षकार / पक्ष	श्री नथी राम पुत्र श्री बन्नी राम निवामी ग्राम-बुम्हारधार, पट्टी-जाखणीधार, तहसील-जाखणीधार, जिला दिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email nathhiram_254@gmail.com		Self employed		9781470740	ADHAAR 659119987917
पक्षकार / द्वितीय पक्ष	श्री समता देवी पत्नी श्री मर्चिस सिंह, निवामी-भौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारे मुख्तार आम अनिल राम पुत्र श्री राजेन्द्र राम निवामी ६९, राजीव लक्ष्मी बर्लौकी, गोविन्दगढ़, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड Email anildutt_1245@gmail.com		Self employed		9557111306	ADHAAR 991567374722
पक्षकार	श्री निशपाल सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह निवामी ग्राम-बुम्हारधार, पट्टी-ग्राम, तहसील-जाखणीधार, जिला दिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड		Self employed		8979771247	ADHAAR 262427336617
पक्षकार	श्री सुमित मैनी पुत्र श्री मतीश कुमार निवामी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड		Self employed		9675988009	ADHAAR 278921295430

Deed Writer /Advocate Name : D.Dumoga Adv.



भारत सरकार
Government of India

नत्थी लाल
NATTHI LAL
पिता : कली राम
Father : KALI RAM
जन्म तिथि / DOB : 27/05/1950
पुरुष / Male



6591 1908 7917

आधार - आम आदमी का अधिकार



Unique Identification Authority of India

पता:
- , जाखनीधार, कुमर्धर माया
मरोडा, जखनिधर, टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखंड, 249123

Address:
- , JAKHNIDHAR, Kumardhar
Maya Maroda, Jakhnidhar, Tehri
Garhwal, Uttarakhand, 249123

6591 1908 7917

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India



अनिल दत्त
Anil Dutt
जन्म तिथि/DOB: 07/11/1982
पुरुष/ MALE

Issue Date: 09/07/2020

9915 6737 4722

VID : 9176 8830 1587 8424

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O गजेन्द्र प्रसाद, ६६, राजीव गाँधी कॉलोनी, गोविन्द
गढ़, देहरादून, देहरादून,
उत्तराखंड - 248001

Address:
S/O Gajendra Prasad, 66, RAJEEV GANDHI
COLONY, GOVIND GARH, Dehradun,
Dehradun,
Uttarakhand - 248001

9915 6737 4722

VID : 9176 8830 1587 8424

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India



शिशपाल सिंह
Shishpal Singh
पिता : दीवान सिंह
Father : DIWANS SINGH
जन्म तिथि / DOB : 14/08/1994
पुरुष / Male



2624 2733 6617

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O दीवान सिंह, हाउस न. 20,
कुमहारधार मय काफली, खंडी माया
काफली, टिहरी गढ़वाल, जखनिधर,
उत्तराखंड, 249123

Address:
S/O Diwan Singh, House No. 20,
Kumardhar May Kafali, Khandi
Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Jakhnidhar, Uttarakhand, 249123

2624 2733 6617

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India



सुमित सैनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सतीश कुमार, 85, निजामपुर, निजामपुर, हरिद्वार,
उत्तराखंड - 247670

Address:
S/O Satesh Kumar, 85, nizampur, Nizampur,
Haridwar,
Uttarakhand - 247670

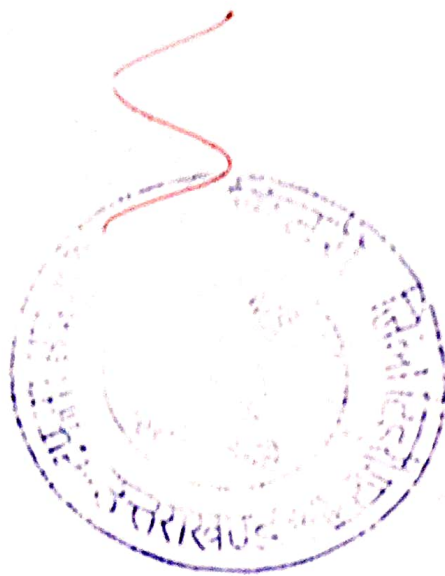
2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in





सत्यमेव जयते



IN-UK63202498320067W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹8,500

e-Stamp

Certificate No.

: IN-UK63202498320067W

Certificate Issued Date

: 18-Dec-2024 01:02 PM

Account Reference

: NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UKUK122960433491609587900W

Purchased by

: SMT MAMTA SAINI THROUGH ATTORNEY ANIL DUTT

Description of Document

: Article 35 Lease

Property Description

: VILL-KUMHARDHAR PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL

Consideration Price (Rs.)

: 0
(Zero)

First Party

: NATHI RAM

Second Party

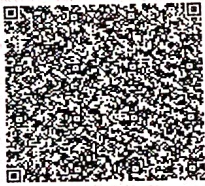
: SMT MAMTA SAINI THROUGH ATTORNEY ANIL DUTT

Stamp Duty Paid By

: SMT MAMTA SAINI THROUGH ATTORNEY ANIL DUTT

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 8,500
(Eight Thousand Five Hundred only)



Please write or type below this line



IE 0025383485

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shoestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

Verified & Locked

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

005229848

पट्टा विलेख Lease Deed

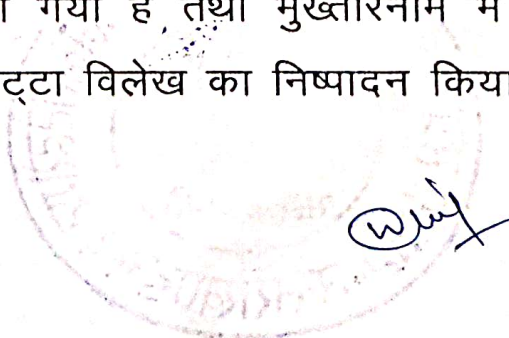
यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) दिसम्बर 2024 माह के 18 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

नत्थीराम पुत्र श्री कलीराम (Adhar no. 659119087917) (Mob.9761470740) निवासी-ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

श्रीमती ममता सैनी पत्नी श्री सर्विस सिंह, निवासी-भौर, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा मुख्ताराम अनिल दत्त पुत्र श्री गजेन्द्र दत्त, निवासी-66, राजीव गांधी कॉलोनी, गोविन्दगढ देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड (Adhar No-991567374722) (Mob-9557111306)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे, पट्टेदार हिमानी कौशिक द्वारा उक्त लीज करने हेतु अपना मुख्ताराम अनिल दत्त को नियुक्त किया गया है तथा मुख्तारनामा उप निबन्धक देहरादून तृतीय की बही सं0-04, जिल्द सं0-617 के पृष्ठ सं0-37 से 54 पर क्रमांक 1655 पर दिनांक 22.10.2024 को पंजीकृत है, मुख्तारदाता जीवित है तथा उनके द्वारा उक्त मुख्तारनामा खण्डित नहीं किया गया है, तथा मुख्तारनाम में प्रदत्त अधिकार व शक्तियों का प्रयोग करते हुये पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है।

21/10/24/19/1/24



बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 466 वर्ष 2024

Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00

औसत वार्षिक

किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क
रु0 4260.00

प्रतिलिपि शुल्क
रु0 100.00

इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क
रु0 220.00

कुल योग
रु0 4580.00

शब्द लगभग
1000

श्री ममता सैनी पत्नी श्री सर्विस सिंह, निवासी-भौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्तारे आम अनिल दत्त पुत्र श्री गजेन्द्र दत्त निवासी ६६, राजीव गाँधी कॉलोनी, गोविन्दगढ़, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड ने आज दिनांक 18 Dec 2024 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार मे प्रस्तुत किया।



[Signature]

ममता सैनी पत्नी श्री सर्विस सिंह, निवासी-भौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्तारे आम

[Signature]
उपनिबन्धक
जाखणीधार
18-Dec-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री नत्थी राम पुत्र श्री कली राम निवासी ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-जाखणीधार, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड। ने नजराना मुबलिंग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री ममता सैनी पत्नी श्री सर्विस सिंह, निवासी-भौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्तारे आम अनिल दत्त पुत्र श्री गजेन्द्र दत्त निवासी ६६, राजीव गाँधी कॉलोनी, गोविन्दगढ़, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड। ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शिशपाल सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह निवासी ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड तथा श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने की।



[Signature]
उपनिबन्धक
जाखणीधार
18-Dec-2024

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के खतौनी खाता संख्या 00067 फसली वर्ष 1427-1432 में दर्ज खेत संख्या 908 रक्वा 0.119 हे० खेत सं०-909 रक्वा 0.024 हे०, खेत सं०-910 रक्वा 0.150 हे० खेत सं०-913 रक्वा 0.016 हे० कुल खेत 4 कुल रक्वा 0.309 हे० याने 3090 वर्ग मीटर भूमि पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया है तथा सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है, यदि सोलर प्लांट आवंटित नहीं होता है तो पक्षकारान उक्त पट्टा विलेख को समर्पण कर देंगे।
2. यह कि पट्टा दिनांक 18.12.2024 से प्रारम्भ होकर 17.12.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु० 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।
3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 6,48,900 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 7,13,790 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,49,618.30 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 19,12,308.30 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 70,826.19 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5902.18 रु० होता है।

सिद्धांत

अक्ष

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 466 वर्ष 2024



नल्ही राम



ममता सैनी पत्नी श्री
सर्विस सिंह,
निवासी-भौर जिला



शिशपाल सिंह



युवित सैनी



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। राशी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

Aceni
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार
18 Dec 2024

4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 70,826.19 रु0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 4,25,000 रु0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 8500 रु0 अदा किया गया है।

न. लीज 11/18

Wij

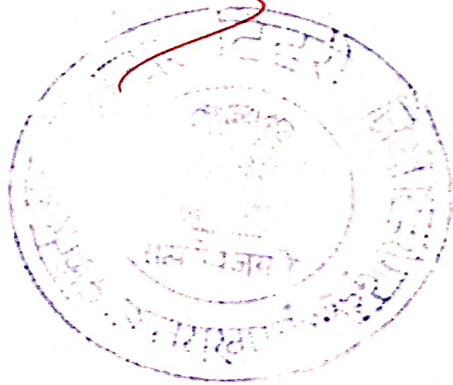


यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्यूरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।

11. यह कि पट्टादाता के द्वारा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।
12. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा पट्टेदार को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं पट्टेदार की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

सि 2011/11/18

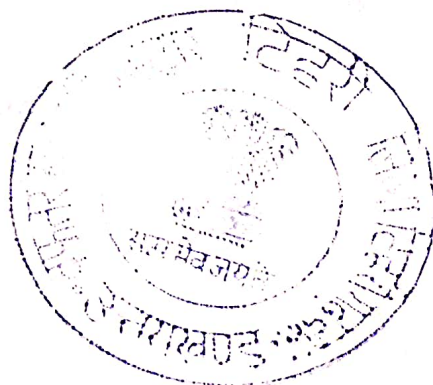
Wing



13. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 18.12.2024 से प्रारम्भ होकर 17.12.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई है:-
पूर्व:- राजेन्द्र प्रसाद की भूमि।
पश्चिम:- रास्ता।
उत्तर:- छोटी देवी की भूमि।
दक्षिण:- जीत सिंह की भूमि।

राजेन्द्र प्रसाद

जीत सिंह



प्रथम पक्ष/पट्टा दाता की उंगलियों की छाप—

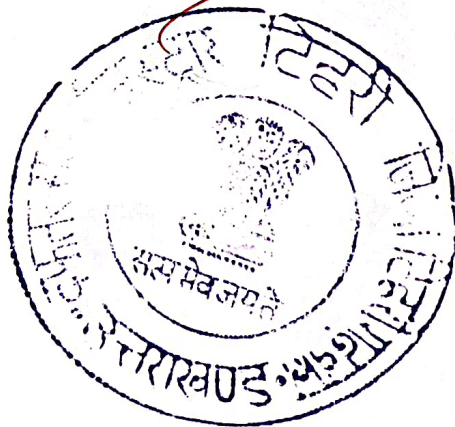
दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप—

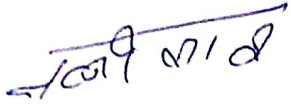
दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

न ली रक

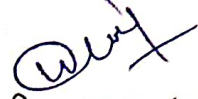
Dev



अतः आज दिनांक 18.12.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।



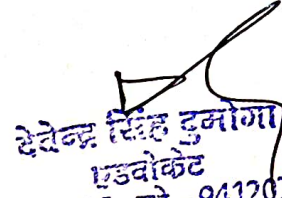
ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता



ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

रचियता

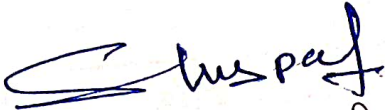
देवेन्द्र दुमोगा


देवेन्द्र सिंह दुमोगा
एडवोकेट

एडवोकेट

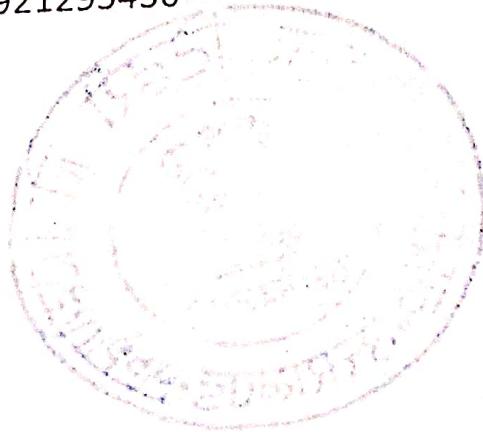
चेम्बर नं०-05, मो.-9412076539
कोर्ट कम्पाउण्ड नई टिहरी
पंजी-UK-2234/04, दिनांक 19/02

गवाह



1. शिशपाल सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी-ग्राम-कुम्हारधार, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
आधार नं०-262427336617
Mob.8979771247

2. सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-85, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
आधार नं०- 278921295430
Mob. 9675988009



बही संख्या 1 जिल्द 69 के पृष्ठ 255 से 276 पर क्रमांक 466 पर आज दिनांक .

18 Dec 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Moine
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार

18 Dec 2024

